

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर**  
(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/1992 (निजी सम्पत्ति घोषित करने)

RCMS NO- 1992/00004

**अनवान**

1. श्री देवीलाल पिता जयचन्द्र ब्राह्मण मेनारिया मृतक के बजाय:-
  - 1/1 श्री मांगीलाल पिता देवीलाल मेनारिया ब्राह्मण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
  - 1/2 श्री खूबीलाल पिता देवीलाल मेनारिया ब्राह्मण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
  - 1/3 श्री दिलीप पिता देवीलाल मेनारिया ब्राह्मण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्थाय, उदयपुर (आदेश दिनांक 27.10.1995 द्वारा नाम तर्क किया गया।)
3. राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर (आदेश दिनांक 26.10.1996 द्वारा पक्षकार बनाया)

– अप्रार्थीगण

**उपस्थित**

1. श्री संजय बोहरा, प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1) राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952  
बाबत् निजी सम्पत्ति घोषित करने।**

**\* निर्णय \***

दिनांक 05-03-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी संख्या 1055 रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी संख्या 1635 रकबा 0.7200 हेक्टेयर एवं 1636 रकबा 0.3800 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.1000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण पानेरियों की मादडी के लघु माफीदार काश्तकार थे। यह समस्त गांव एक माफीदार का न होकर 7 हांस सखावत, मानावत, कचरावत, नेतावत, नन्दावत, केदावत व कोलावत है। प्रार्थीगण इनमें से नेतावत हांस मे से है। प्रार्थीगण की जागीर (माफी) ग्राम पानेरियों की मादडी की माली आय 200 रूपये से कम होने से कानून के अनुसार 1958 मे रिज्युम हुई थी। प्रार्थीगण सालीम गांव का माफीदार नही होने से निजी सम्पत्ति धारा 23 के अनुसार घोषित कराना जरूरी नही समझा और प्रार्थीगण के आधिपत्य

की भूमि रिज्युमेशन के पूर्व से उनके आधिपत्य में चली आ रही है। पानेरियों की मादडी माफी का गांव था तथा वहां की माफी दिनांक 31.12.1958 को रिज्युम हो गयी। प्रार्थीगण गांव के माफीदार थे एवं उन्होने उक्त जमीन स्वयं की व्यक्तिगत सम्पत्ति में रखी थी एवं अन्य माफीदारों ने उक्त जमीन का पट्टा भी दिनांक 07.12.1957 को किया था। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में समय समय पर कार्यवाही की है, परन्तु वास्तविक रूप से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे को कभी भी नहीं हटाया गया। उक्त कथित सम्पत्ति प्रार्थीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति हो धारा 23 (1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रार्थीगण की ही है, परन्तु इसे सूची में न दर्शाया जाने से प्रार्थीगण की जायदाद घोषित नहीं की गयी। इसकी घोषणा की कोई मयाद न होने से प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। जागीर पुनर्ग्रहण के समय कथित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई थी। माफीदार की हैसियत से प्रार्थीगण का कब्जा आज भी उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि पर चला आ रहा है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित कराई जावे एवं प्रार्थीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की ताईद में श्री देवीलाल पुत्र जयचंद, श्री छगनलाल पिता ऊंकारलाल, श्री भगवानलाल पिता हेमराज, श्री किशनलाल पिता ऊंकारलाल, श्री कालुराम पिता ऊंकारलाल के बयान कलमबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी सबूत में पट्टे की छायाप्रति, चालू जमाबंदी की नकल एवं जिन्स गिरदावरी की नकले पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। मामले में विपक्षी राजस्थान आवसन मण्डल के आवासीय अभियंता श्री एम.एम. माथुर के बयान कराये गये। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर की ओर से कोई दस्तावेज या मौखिक शहादत पेश नहीं की गई।

मामले में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.10.1995 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास का नाम विद्धो करने का अनुरोध किया, जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.10.1995 को नगर विकास प्रन्यास का नाम प्रकरण से विपक्षी संख्या 2 से हटाया गया। प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मामले में लिखित बहस प्रस्तुत कर मौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा माफी का गांव होना, प्रार्थीगण के पास विवादग्रस्त भूमि का पट्टा उपलब्ध होना, विवादग्रस्त आराजी पर जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व प्रार्थीगण का आधिपत्य होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि धारा 23 (1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत यह सम्पत्ति प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति है। प्रार्थीगण द्वारा समय पर सूची प्रस्तुत न करने से उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित नहीं की गयी। सूची प्रस्तुत करने की कोई मयाद मुकरर नहीं है। प्रार्थीगण का

मौके पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा हटाने का प्रयास करने पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में बयानकर्ताओं के बयान से भी उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति होना स्पष्ट जारी है। मामले में सरकार द्वारा कोई शहादत प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह साबित हो कि यह गांव माफी का न हो। निजी सम्पत्ति तय करने का अधिकार इस न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई मयाद मुकरर नहीं है, जैसा कि ए.आई.आर 1972 राजस्थान पृष्ठ 32 पर तय किया गया है, धारा 23 के तहत निजी सम्पत्ति की सूची प्रस्तुत करना कही आवश्यक नहीं है, जैसा कि ए.आई. आर. 1968 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 858 व आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 442 एवं आर.आर.डी. 1974 पृष्ठ 226 पर तय किया गया है। जमाबन्दी में जागीर अधिग्रहण के बाद गलत इन्द्राज हो जाने से सरकार या नगर विकास प्रन्यास या राजस्थान आवासन मण्डल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियंता ने अपने बयान में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का नोटिफिकेशन दिनांक 27.08.1983 को जारी किया जाना तथा धारा 6 का नोटिफिकेशन 21.03.1986 को जारी किया जाना एवं अवाप्ति उपरान्त भूमि नगर विकास प्रन्यास द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को दी जाना बताया है, जबकि उक्त भूमि कभी अवाप्त नहीं की गई हैं। मात्र म्यूटेशन या जमाबन्दी के इन्द्राज से किसी भी व्यक्ति को राईट टाईटल नहीं मिलता है, जैसा कि ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 227 व पृष्ठ 1496 पर तय किया गया है, इसी बिन्दु को ए.आई.आर. इलाहबाद पृष्ठ 127 पर तय किया गया है। यहां तक की राजस्थान उच्च न्यायालय ने तय किया है कि जागीदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति डिप्टी कलक्टर जागीर द्वारा तय की जाती है एवं वह उस सम्पत्ति का मालिक होता है, जैसा कि आर.आर.डी 1972 पृष्ठ 98 पर तय किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को जबानी एवं दस्तावेजी शहादत से सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 442 रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य में इस बिन्दु को तय किया गया है। राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 46 के अनुसार जो प्रकरण जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत तय किया जाता है, उस सम्बन्ध में दीवानी या राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 23 के तहत निजी सम्पत्ति की घोषणा की जाती है एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा का वाद, राजस्व या दीवानी न्यायालय में नहीं जा सकता है, जैसा कि आर.एल. डब्ल्यू 1969 पृष्ठ 92 एवं आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 520 पर तय किया गया है। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा कन्नीराम बनाम सरकार के मामले में माफीदार की निजी सम्पत्ति घोषित की गयी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत की प्रति प्रस्तुत की:-

- कन्नीराम बनाम सरकार में न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (जागीर), उदयपुर द्वारा प्र.स. 01/1984 में पारित निर्णय
- ए.आई.आर. 1972 (राजस्थान) पृष्ठ 33
- आर.आर.डी. 1978 पृष्ठ 442

- ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 227
- आर.आर.डी. 1972 पृष्ठ 98
- आर.एल.डब्ल्यू. 1969 पृष्ठ 92
- आर.आर.डी. 1978 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 520
- आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 148

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना बताया तथा प्रार्थीगण को मात्र अतिक्रमी होना अवगत कराया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण न तो माफीदार है न ही उनके पास मे इसकी पुष्टि स्वरूप कोई वैध दस्तावेज मौजूद है। गांव पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा की पूर्व पेमाईश की आराजी संख्या 1635 एवं 1636 रकबा क्रमशः 0.7200 हेक्टेयर एवं 0.3800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1000 हेक्टेयर (17 बीघा) भूमि राजस्थान आवासन मण्डल के आधिपत्य में है एवं उनके द्वारा आवासन मण्डल की योजना अनुसार निर्माण हेतु वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। वादग्रस्त आराजी बिलानाम राजकीय भूमि वर्ष 1952 की पेमाईश में दर्ज है, जिसे आवासन मण्डल की योजना के लिये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत दिनांक 27.08.1983 को एवं धारा 6 (ख) का नोटिफिकेशन दिनांक 21.03.1986 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के क्रम संख्या 96 पर राजकीय कृषि भूमि अयोग्य चराई योग्य भूमि रकबा 17 बीघा की अवाप्ति की जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) की उपधारा 1 के अनुसरण में राज्य सरकार विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (मुख्यालय), जयपुर को धारा 9 की उपधारा 1 में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस में भूमि का कब्जा देने का निर्देश होने से दिनांक 07.10.1986 को तहसीलदार गिर्वा ने यह भूमि आवासन मण्डल को सुपुर्द कर दी एवं इसी अनुसरण में इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन करने पर भवन निर्माण हेतु टेण्डर आयेजित कर मकान बनाने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा इस भूमि के लिये वर्ष 1994 में निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपजिलाधीश के न्यायालय में पेश किया, जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 38/1994 का निर्णय दिनांक 23.11.1994 को हुआ, जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इसकी अपील संख्या 29/1997 न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत करने पर यह अपील भी खारिज रही है। वादी का वाद उपजिलाधीश गिर्वा से सहायक जिलाधीश को हस्तान्तरित कर दिया जाने पर प्रकरण संख्या 66/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2000 द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया। प्रार्थी को विवादित भूमि कृषि बताने पर सफलता नहीं मिलने पर उसके द्वारा भूमि को आबादी बताते हुये दीवानी न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) शहर दक्षिण, उदयपुर में वाद संख्या 46/1995 प्रस्तुत करने पर भी यह वाद दिनांक 22.10.2001 को खारिज हुआ है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर में अपील संख्या 58/2001 प्रस्तुत करने पर दिनांक 14.01.2005 को पारित निर्णय में भी उक्त अपील खारिज

हुयी है। समस्त न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का स्वामित्व भूमि पर नहीं माना है। प्रार्थीगण का उक्त सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं उनके द्वारा समस्त पट्टे बाद में बनाये गये हैं। भूमि राजकीय होने से विशेषाधिकारी द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। विवादित आराजीयात प्रारम्भ से ही राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रही है एवं राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के बाद धारा 22 के अनुसार जागीर की समस्त भूमियों के अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गये। उक्त भूमि बाबत् तत्कालीन जागीर कमिश्नर के न्यायालय में प्रार्थीगण के द्वारा न तो धारा 23(1) के अनुसार कोई सूची निजी सम्पत्ति बाबत् पेश की एवं न ही कोई उजर पेश किया एवं न ही जागीर कमिश्नर के यहां से कोई पट्टा प्रमाणित कराया है। धारा 2 (1) जागीर एक्ट एवं जागीर रूल्स 1954 के नियम 22 (3) अनुसार खुदकाशत शब्द का अर्थ है कि भूमि जागीर (माफीदार) के नाम राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टिया, जमाबन्दी, बन्दोबस्त आदि में हो। खातेदार के कॉलम में राजस्व रेकर्ड में माफीदार जागीर (खुदकाशत) का कही भी अंकन नहीं है एवं न ही उक्त भूमि माफी ही होने व प्रार्थीगण के आधिपत्य की होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी है। मात्र मौखिक साक्ष्य पेश कर देने से भूमि खुदकाशत की नहीं मानी जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे पर किसी प्रकार का पृष्ठांकन न होने से पट्टा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वर्ष 1959 के बाद उदयपुर जिले में 03 बार पेमाईश (सेटलमेन्ट) हो चुका है। विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को खुदकाशत भूमि होना अंकित किया है, जो मनगढ़ंत एवं मिथ्या है। अतः उक्त भूमि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने एवं जागीर समाप्त होने के पश्चात् भूमि राज्य सरकार में निहित होने एवं राजस्थान आवासन मण्डल के नाम दर्ज हो जाने के बाद प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 (1) के अनुसार संधारण योग्य न होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 (1) राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, लिखित बहस, बयान, न्यायिक दृष्टांत एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद मौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा की साबिक आराजी संख्या 1055 रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी संख्या 1635 रकबा 0.7200 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 1636 रकबा 0.3800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1000 हेक्टेयर भूमि का है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को माफीदार होना, प्रार्थना पत्र विधिनुसार प्रस्तुत करना एवं उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है एवं राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने के उपरान्त जागीर की समस्त भूमियों के अधिकार एवं हक राज्य सरकार में निहित हुए हैं एवं तत्समय प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी

के समक्ष कोई उजर-आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि माफीदार की होना एवं स्वयं की आधिपत्य की होना मौखिक साक्ष्य से अवगत कराया है, किन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति भूमि को प्रार्थीगण के खुदकाशत की नहीं मानी जा सकती है एवं न ही राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23(1) के तहत निजी सम्पत्ति के रूप में माना जा सकता है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि माफीदार खुदकाशत खातेदार दर्ज रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसे प्रार्थीगण द्वारा पट्टा बताया जा रहा है, वह भी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गई नोटिस की प्रतियों पर वर्ष 1985 अंकित है। इससे पूर्व के कब्जे अथवा स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकार होने से नियमानुसार नोटिफिकेशन जारी होने के उपरान्त अवाप्ति की कार्यवाही राजस्थान आवासन मण्डल को हस्तान्तरित हुई है। भूमि कब्जे में होने एवं जागीर (माफी) की खुदकाशत की होने में काफी अन्तर है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि बाबत विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज हुई है। इस तथ्य को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चर्चा नहीं होती है। इस प्रकार समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, तहसीलदार गिर्वा एवं राजस्थान आवासन मण्डल को प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि सरकारी भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा हो तो मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर

